कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक— 900 /11—सी—FP/UP/Road/25036/2017, लखनऊ, दिनांकः अक्टूबर 26 ,2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ0प्र0 शासन,
वन एवं वन्य जीव, अनुभाग—2,
लखनऊ।

विषयः— जनपद—बांदा में नरैनी से कालींजर तक सड़क के किमी0 35.00 से 60.825 तक तथा कालींजर—बघेलाबारी सड़क के किमी0 0.00 से 1.50 तक फोरलेन निर्माण कार्य हेतु कुल 31.58 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1914 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— भारत सरकार का पत्रांक—8बी/यू0पी0/06/78/2018/एफ0सी0/474, दिनांक 17.10.2018 एवं उ0प्र0 शासन का पत्रांक—131/14—2—2018—800(149)/2018, दिनांक 23.10.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा विषयॅाकित प्रकरण में आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा ने अपने पत्रांक—1717/33—1, दिनाँक—25.10.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना/अभिलेखों की दो प्रतियाँ इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

<u>संलग्नकः—यथोक्त्।</u>

भवदीय

26/10

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संख्या— /11—सी—FP/UP/Road/25036/2017, दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में संलग्नक सहित।
   <u>संलग्नकः—यथोक्त्।</u>
2. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, बांदा वन प्रभाग, बांदा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—1, लो0नि0वि0, बांदा।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-2347